न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 119/2017

1. रामराज नागर आयु 26 साल आ0 किशनगोपाल जाति धाकड़ निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. किशनगोपाल आयु 60 साल आ0 कल्याण जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. राज0राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री चन्द्रशेखर नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री जफर शरीफ अंसारी, एडवोकेट।

—: निर्णय :— दिनांक —04.11.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 26.10.2017 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या नई 34 के ख.सं. 65 रकबा 2.18 है0, ख.सं. 898 रकबा 0.82 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.00 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है। इस कारण उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को कानूनी अधिकार प्राप्त है। मूल पुरूष किशनगोपाल प्रतिवादी सं. 1 है जिसके पुत्र वादी रामराज नागर है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहीत है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक विभाजन आज से लगभग 7–8 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य हो चुका है एवं उसी विभाजन के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 की अत्यधिक उम्र होने की वजह से सोचने, समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है इस कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लालची व्यक्ति उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने के कारण खुर्द–बुर्द करने पर तत्पर है। वादी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये दिनांक 03.10.17 को प्रतिवादी सं. 1 से कहां तो ऐसा करने से प्रतिवादी सं. 1 ने साफ मना कर दिया, यही वादकारण है जो निरन्तर जारी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार पृथक से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान करे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 10.10.2019 को राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 34 के खसरा सं. 65 रकबा 2.18 है0 में से 1.50 है0 पश्चिम दिशा की, वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी रामराज नागर आ0 किशनगोपाल जाति धाकड निवासी

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता. सं. 34 के खसरा सं. 65 रकबा 2.18 है0 में से 0.68 है0 पूर्व दिशा की, ख.सं. 898 रकबा 0.82 है0 सम्पूर्ण, कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 किशनगोपाल आ0 कल्याण जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

5/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

रामराज नागर V/S किशनगोपाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
मुकदमा नम्बर :: 119/2017

वादी की ओर से श्री चन्द्रशेखर नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जफर शरीफ की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 34 के खसरा सं. 65 रकबा 2.18 है0 में से 1.50 है0 पश्चिम दिशा की, वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी रामराज नागर आ0 किशनगोपाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 34 के खसरा सं. 65 रकबा 2.18 है0 में से 0.68 है0 पूर्व दिशा की, ख.सं. 898 रकबा 0.82 है0 सम्पूर्ण, कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 किशनगोपाल आ0 कल्याण जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।"

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग.............
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.11.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.12.05 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: